



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 296

दर्ज तिथि:-25.07.2022

1. जेठाराम पुत्र कानाराम
2. थानाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवसी ईराणियों की ढाणी, नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....वादी

बनाम

1. हरखाराम पुत्र सालूराम
2. रिड़मलराम पुत्र सालूराम
3. मोटाराम पुत्र सालूराम
4. रूखमणाराम पुत्र सालूराम
5. मोबताराम पुत्र सालूराम
6. केसराराम पुत्र सालूराम
7. डुंगराराम पुत्र हिम्मताराम
8. हरखु पत्नी हिम्मताराम
9. अणदाराम पुत्र खरथाराम
10. पनाराम पुत्र खरथाराम
11. मूलाराम पुत्र खरथाराम
12. जेठाराम पुत्र खरथाराम
13. लिछमणा पुत्र खरथाराम
14. तुलछाराम पुत्र ताजाराम (फौत) के कायम मुकाम:-
 - 14 / 1 दलाराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 2 लाधूराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 3 चूनाराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 4 ओमाराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 5 नेनू देवी पत्नी तुलछारामजाति जाट निवासी ईशराणियों की ढाणी, नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
15. दुदाराम पुत्र नानगाराम
16. जीयोदेवी पत्नी नानगाराम
17. शेराराम पुत्र खेमाराम
18. आदूराम पुत्र खेमाराम
19. पन्नाराम पुत्र खेमाराम
20. दुर्गाराम पुत्र मगाराम



21. महेन्द्रराम पुत्र मगाराम
22. दानाराम पुत्र मगाराम
23. खीयाराम पुत्र मगाराम
24. बाबूराम पुत्र मगाराम
25. नारायणराम पुत्र दुर्गाराम
निवासी ईराणियों की ढाणी, नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
26. सोनीदेवी पत्नी बांकाराम
जाति जाट निवासी लूखों का नाडा लोहारवा तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादी
27. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
28. तहसीलदार नोखड़ा
.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगण:- श्री डालुराम चौधरी
श्री गंगाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:-05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 408 / 1.2141 है0 मौजा महादेव मन्दिर, खसरा संख्या 154 / 8.0128 है0 मौजा आदर्श छोटू, खसरा संख्या 431 / 26.5473 है0 मौजा झरड़ासर पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामिलती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर

तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 13 बाद विधिवत तामिल असागतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादी संख्या 14 ता 28 के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 14 ता 28 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 ता 13 द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 50 वर्ष पूर्व किये गये वहामी बंटवारे अनुसार काबिज काशत हैं। अतः विवादित आराजी का पूर्व में किये गये वहामी बंटवारा व वर्तमान कब्जा काशत अनुसार पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। जिस पर वकील वादीगण ने सहमति प्रदान की।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये:—

1. आया वादीगण संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार वादीगण के कब्जा काशत अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादीगण

2. आया वादी संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पश्चात् विरुद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादी

3. आया प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार पूर्व में किये गये वहामी बंटवारा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी 01—13

4. अन्य दादरसी।

.....उभयपक्षकारान

4. तत्पश्चात् उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 27.03.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू-धारक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/344 दिनांक 02.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा आक्षेप प्रस्तुत किया गया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा केवल वादीगण का ही विभाजन प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण का प्रतिदावा अनुसार प्रतिवादीगण का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से प्रतिवादीगण का विभाजन भी तलब किया जावे। प्रतिवादीगण के उक्त आक्षेप पर अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण का विभाजन प्रस्ताव मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 02.05.2025 के अनुसार रखते हुए प्रतिवादीगण का विभाजन तलब किया जाता है तो वादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा को वादीगण के साथ-साथ प्रतिवादीगण के प्रतिदावा एवं हाजा न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.03.2024 के अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। जिस पर भू-धारक

तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 04.07.2025 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा दिनांक 04.07.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 04.07.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 813-840 दिनांक 24.05.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 813-840 दिनांक 24.05.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 04.07.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072-2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 408/1.2141 है0 मौजा महादेव मन्दिर, खसरा संख्या 154/8.0128 है0 मौजा आदर्श छोटू खसरा संख्या 431/26.5473 है0 मौजा झरड़ासर पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 व 03 स्वीकार की जाती है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक-पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से

सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक-पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग-उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 स्वीकार की जाती है।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 408/1.2141 है0 मौजा महादेव मन्दिर, खसरा संख्या 154/8.0128 है0 मौजा आदर्श छोटू, खसरा संख्या 431/26.5473 है0 मौजा झरड़ासर पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
थानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2	महादेव मंदिर	408	0.2023	बा0दो0
जेठाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2	आदर्श छोटू	154	1.2776	बा0दो0
कौम जाट सा0 देह खातेदार	झरड़ासर	431	2.8732	बा0सो0
		431	1.4731	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 5.8262 है0				
केसाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7	आदर्श छोटू	154	1.2776	बा0दो0
मोटाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7		154	1.2776	बा0दो0
मोबताराम पुत्र सालूराम हि0 1/7	महादेव मंदिर	408	0.4047	बा0दो0
रूखमणाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7	झरड़ासर	431	2.8664	बा0दो0

रिड़मलराम पुत्र सालूराम हि0 1/7 हरखाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7 डूंगराराम पुत्र हिमताराम हि0 1/14 हरखू पत्नी हिमताराम हि0 1/14 कौम जाट सा0 देह खातेदार केसाराम, रिड़मलरा का हि0 रहन- आरएमजीबी गुड़ामालानी				
कुल किता 04 रकबा 5.8263 है0				
अणदाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5 जेठाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5 पनाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5 लिछमणा पुत्र खरथाराम हि0 1/5 मूलाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5 कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन-अणदाराम, जेठाराम का हि0 आरएमजीबी शाखा गुड़ामालानी	झरड़ासर	431	5.8262	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 5.8262 है0				
आदूराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 पनाराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 शेराराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 कौम जाट सा0 देह खातेदार खेताराम पुत्र दुर्गाराम हि0 1/15 सा0 गोरामाणियों की ढाणी दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 बाबुराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 सोनीदेवी पत्नी बांकाराम हि0 2/15 सा0 लुखों का नाडा (धोरीमन्ना) खातेदार। ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 चुनाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 दलाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 लाधूराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम हि0 1/30 दूदाराम पुत्र नानगाराम हि0 1/12 जीयो पत्नी नानगाराम हि0 1/12 कौम जाट सा0 देह खातेदार	झरड़ासर	431 431 431	2.8732 4.4192 5.7465	बा0दो0 बा0दो0 बा0दो0
कुल किता 03 रकबा 13.0389 है0				
आदूराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 पन्नाराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 शेराराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 1/5 नारायणराम पुत्र दुर्गाराम हि0 1/15 महेन्द्रराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम हि0 1/30	आदर्श छोटू	154 154	2.5552 1.2776	बा0दो0 बा0दो0

चुनाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 दलाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 लाधूराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम हि0 1/30 दूदाराम पुत्र नानगाराम हि0 1/12 जीयो पत्नी नानगाराम हि0 1/12 कौम जाट सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 3.8328 है0				
आदूराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 पन्नाराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 शेराराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 खीयाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 दानाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 बाबूराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 महेन्द्रराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 चुनाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 दलाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 लाधूराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम हि0 1/30 दूदाराम पुत्र नानगाराम हि0 1/12 जीयो पत्नी नानगाराम हि0 1/12 कौम जाट सा0 देह खातेदार	महादेव मंदिर	408	0.6071	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.6071 है0				
संयुक्त भूमि रास्ते हेतु बदस्तूर खाता संख्या 09 खातेदार	झरड़ासर	431	0.4695	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4695 है0 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
संयुक्त भूमि रास्ते हेतु बदस्तूर खाता संख्या 26 खातेदार	आदर्श छोटू	154	0.3472	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.3472 है0 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी—बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 296

दर्ज तिथि:-25.07.2022

1. जेठाराम पुत्र कानाराम
2. थानाराम पुत्र कानाराम
जाति जाट निवसी ईराणियों की ढाणी, नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
.....वादी

बनाम

1. हरखाराम पुत्र सालूराम
2. रिड़मलराम पुत्र सालूराम
3. मोटाराम पुत्र सालूराम
4. रूखमणाराम पुत्र सालूराम
5. मोबताराम पुत्र सालूराम
6. केसाराम पुत्र सालूराम
7. डुंगराराम पुत्र हिम्मताराम
8. हरखु पत्नी हिम्मताराम
9. अणदाराम पुत्र खरथाराम
10. पनाराम पुत्र खरथाराम
11. मूलाराम पुत्र खरथाराम
12. जेठाराम पुत्र खरथाराम
13. लिछमणा पुत्र खरथाराम
14. तुलछाराम पुत्र ताजाराम (फौत) के कायम मुकाम:-
 - 14 / 1 दलाराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 2 लाधूराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 3 चूनाराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 4 ओमाराम पुत्र तुलछाराम
 - 14 / 5 नेनू देवी पत्नी तुलछारामजाति जाट निवासी ईशराणियों की ढाणी, नया नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
15. दुदाराम पुत्र नानगाराम
16. जीयोदेवी पत्नी नानगाराम
17. शेराराम पुत्र खेमाराम
18. आदूराम पुत्र खेमाराम
19. पन्नाराम पुत्र खेमाराम
20. दुर्गाराम पुत्र मगाराम

21. महेन्द्रराम पुत्र मगाराम
22. दानाराम पुत्र मगाराम
23. खीयाराम पुत्र मगाराम
24. बाबूराम पुत्र मगाराम
25. नारायणराम पुत्र दुर्गाराम
निवासी ईराणियों की ढाणी, नया नगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
26. सोनीदेवी पत्नी बांकाराम
जाति जाट निवासी लूखों का नाडा लोहारवा तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादी
27. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
28. तहसीलदार नोखड़ा
.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगण:- श्री डालुराम चौधरी
श्री गंगाराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 408/1.2141 है0 मौजा महादेव मन्दिर, खसरा संख्या 154/8.0128 है0 मौजा आदर्श छोटू, खसरा संख्या 431/26.5473 है0 मौजा झरड़ासर पटवार हल्का छोटू तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
थानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2	महादेव मंदिर	408	0.2023	बा0दो0
जेठाराम पुत्र कानाराम हि0 1/2	आदर्श छोटू	154	1.2776	बा0दो0
कौम जाट सा0 देह खातेदार	झरड़ासर	431	2.8732	बा0सो0
		431	1.4731	बा0सो0
कुल किता 04 रकबा 5.8262 है0				

केसाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7	आदर्श छोटू	154	1.2776	बा0दो0
मोटाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7		154	1.2776	बा0दो0
मोबताराम पुत्र सालूराम हि0 1/7	महादेव मंदिर	408	0.4047	बा0दो0
रूखमणाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7	झरड़ासर	431	2.8664	बा0दो0
रिडमलराम पुत्र सालूराम हि0 1/7				
हरखाराम पुत्र सालूराम हि0 1/7				
डूंगाराम पुत्र हिमताराम हि0 1/14				
हरखू पत्नी हिमताराम हि0 1/14				
कौम जाट सा0 देह खातेदार				
केसाराम, रिडमलरा का हि0 रहन-				
आरएमजीबी गुड़ामालानी				
कुल किता 04 रकबा 5.8263 है0				
अणदाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5				
जेठाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5				
पनाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5				
लिछमणा पुत्र खरथाराम हि0 1/5	झरड़ासर	431	5.8262	बा0दो0
मूलाराम पुत्र खरथाराम हि0 1/5				
कौम जाट सा0 देह खातेदार				
रहन-अणदाराम, जेठाराम का हि0				
आरएमजीबी शाखा गुड़ामालानी				
कुल किता 01 रकबा 5.8262 है0				
आदूराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9				
पनाराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9				
शेराराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9				
कौम जाट सा0 देह खातेदार				
खेताराम पुत्र दुर्गाराम हि0 1/15				
सा0 गोरामाणियों की ढाणी				
दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15				
बाबुराम पुत्र मगाराम हि0 1/15				
सोनीदेवी पत्नी बांकाराम हि0 2/15		431	2.8732	बा0दो0
सा0 लुखों का नाडा (धोरीमन्ना)	झरड़ासर	431	4.4192	बा0दो0
खातेदार।		431	5.7465	बा0दो0
ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम हि0 1/30				
चुनाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30				
दलाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30				
लाधूराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30				
नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम हि0 1/30				
दूदाराम पुत्र नानगाराम हि0 1/12				
जीयो पत्नी नानगाराम हि0 1/12				
कौम जाट सा0 देह खातेदार				
कुल किता 03 रकबा 13.0389 है0				
आदूराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9	आदर्श छोटू	154	2.5552	बा0दो0
पन्नाराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9		154	1.2776	बा0दो0
शेराराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9				

दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 1/5 नारायणराम पुत्र दुर्गाराम हि0 1/15 महेन्द्रराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 चुनाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 दलाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 लाधूराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम हि0 1/30 दूदाराम पुत्र नानगाराम हि0 1/12 जीयो पत्नी नानगाराराम हि0 1/12 कौम जाट सा0 देह खातेदार				
कुल किता 02 रकबा 3.8328 है0				
आदूराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 पन्नाराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 शेराराम पुत्र खेमाराम हि0 1/9 खीयाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 दुर्गाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 दानाराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 बाबूराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 महेन्द्रराम पुत्र मगाराम हि0 1/15 ओमप्रकाश पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 चुनाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 दलाराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 लाधूराम पुत्र तुलछाराम हि0 1/30 नेनुदेवी पत्नी तुलछाराम हि0 1/30 दूदाराम पुत्र नानगाराम हि0 1/12 जीयो पत्नी नानगाराराम हि0 1/12 कौम जाट सा0 देह खातेदार	महादेव मंदिर	408	0.6071	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.6071 है0				
संयुक्त भूमि रास्ते हेतु बदस्तूर खाता संख्या 09 खातेदार	झरड़ासर	431	0.4695	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.4695 है0 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				
संयुक्त भूमि रास्ते हेतु बदस्तूर खाता संख्या 26 खातेदार	आदर्श छोटू	154	0.3472	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.3472 है0 गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

